न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –153/2023

अनवान : –

1. कृष्णलाल पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. डुंगरराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. प्रभुराम पुत्र डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. साजन पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. प्रहलाद पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
5. श्योकरण पुत्र डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
6. सुरेश कुमार पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
7. राकेश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
8. पार्वती पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
9. रूकमा पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
10. रामी पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
11. मैना पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
12. शान्ति पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
13. गीता पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
14. बलवन्ती पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188</u>

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय **दिनांकः** 20/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा खसरण्डी तहसील नोहर के खाता स0 42/39 की कुल 7.9490 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 128/1 की कुल 2.4920 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 16/15 की कुल 19.4120 हैक्ट भूमि में से 6747/19003 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि [illegible] अपने नाम कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अनुचित तौर से [illegible] होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 14 का उप[illegible] स0 1 के साथ हक [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 42/39 की 7.9490 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 50/53 की कुल 2.4920 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादीगण स0 7 ता 14 का जो भी हक हिस्सा है का परित्याग वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 7 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। अब उक्त भूमि में प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादीगण स0 8 ता 14 को कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। वाद भूमि में बाहमी राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 16/15 की कुल 19.4120 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 6747/19003 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। उपरोक्त आशयो की वादी घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीग स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 14 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 14 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 8 ता 14 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा खसरण्डी तहसील नोहर के खाता स0 42/39 की कुल 7.9490 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 128/1 की कुल 2.4920 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 16/15 की कुल 19.4120 हैक्ट भूमि में से 6747/19003 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 14 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण स0 1 ता 14 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादीगण स0 1 व 8 ता 14 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर दिया है। अतः वाद वादी की प्रतिवादीगण स0 1 ता 14 के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:30:07 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खसरण्डी तहसील नोहर के खाता स0 42/39 की कुल 7.9490 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 50/30 की कुल 2.4920 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 को बहिब 1/2 हिस्सा के तथा प्रतिवादी स0 5 ता 7 को बहिब 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 16/15 की कुल 19.4120 हैक्ट भूमि में से 6747/19003 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/3/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:30:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –153 / 2023

अनवान : –

1. कृष्णलाल पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. डुंगरराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. प्रभुराम पुत्र डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. साजन पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. प्रहलाद पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
5. श्योकरण पुत्र डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
6. सुरेश कुमार पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
7. राकेश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
8. पार्वती पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
9. रूकमा पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
10. रामी पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
11. मैना पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
12. शान्ति पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
13. गीता पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
14. बलवन्ती पुत्री डुंगरराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 153 सन 2023 निर्णय दिनांक – 20/9/23

आज यह मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खसरण्डी तहसील नोहर के खाता स0 42 / 39 की कुल 7.9490 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 50 / 30 की कुल 2.4920 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में [illegible] तलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 को बहिब 1 / 2 हिस्सा [illegible] प्रतिवादी स0 5 ता 7 को बहिब 1 / 2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया [illegible] तथा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 16 / 15 की कुल 19.4120 हैक्ट भूमि में से 6747 / 19003 हिस्सा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

20/9/23

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:30:07 IST
Reason: SelfAttested